


हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 106/2018 अनवान आईदानराम बनाम नरतीराम	नम्बर व तारीखअटकाम जो इस हुकम की तागील में जारी हुए
07.06.2018	<p>राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय पदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुरटिया पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 07.06.2018 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुरटिया पर पत्रावली पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर</p> <p>यह पत्रावली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुरटिया मुख्यालय पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्रवाई अगल में लाई जाती है। प्रार्थीगण ने गू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा नया भुरटिया पटवार क्षेत्र भुरटिया के खसरा नम्बर 135 रकबा 0.07 बीघा खसरा संख्या 137 रकबा 0.04 बीघा खसरा संख्या 1008/138 रकबा 228.11 बीघा कुल रकबा 229.02 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। उपस्थित अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण द्वारा आवेदित भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>अतः मौजा नया भुरटिया पटवार क्षेत्र भुरटिया के खसरा नम्बर 135 रकबा 0.07 बीघा खसरा संख्या 137 रकबा 0.04 बीघा खसरा संख्या 1008/138 रकबा 228.11 बीघा कुल रकबा 229.02 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं करने बावत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीशनर फीरा 1500/- अक्षरे एक हजार पांच</p>	




तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 106/2018 अगवान आईदानराम बनाम बरतीराम

सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।



  
उपखण्ड अधिकारी,  
(एसडीओ) बाडमेर